भारत सरकार

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 453

28 नवंबर, 2024 को उत्तर देने के लिए

भू-स्थानिक डेटा उपयोग में समावेशन

453. श्री रविचंद्र वद्दीराजू:

क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने तेलंगाना में ऐसे विशिष्ट क्षेत्रों या भागों की पहचान की है जो राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति (एनजीपी) के तहत भू-स्थानिक डेटा तक विस्तारित पहुंच से अभी तक समान रूप से लाभान्वित नहीं हुए है;

(ख) यदि हां, तो तेलंगाना में अल्प प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों और उद्योगों के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ग) क्या एनजीपी के कार्यान्वयन के बाद, तेलंगाना की भू-स्थानिक कंपनियों सहित भारतीय भू-स्थानिक कंपनियों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता का मूल्यांकन करने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इन आकलनों से प्राप्त निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है और आगे और अधिक अंतरराष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करने के लिए क्या कोई विशिष्ट उपाय किए जाने की योजना है?

उत्तर

विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) से (ख): राष्ट्रीय भू-स्थानिक नीति, 2022 (एनजीपी) का उद्देश्य सार्वजनिक निधि का उपयोग करके एकत्रित उपयोगी भू-स्थानिक डेटा को तेलंगाना राज्य सहित देशभर के व्यावसायिक घरानों और जन साधरण के लिए शीघ्र उपलब्धता को संभव करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु, एनजीपी में देश के सभी हितधारकों द्वारा भू-स्थानिक डेटा तक सुलभ पहुंच के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक डेटा रजिस्ट्री (एनजीडीआर) के परिचालन और एनजीडीआर में निहित भू-स्थानिक डेटा और मेटाडेटा का उपयोग करके उपभोक्ता-अनुकूल उत्पाद, अनुप्रयोग, सेवा और खास ज़रुरत पूरक संज्ञा की व्यवस्था हेतु एकीकृत भू-स्थानिक इंटरफेस (यूजीआई) की परिकल्पना की गई। भू-स्थानिक डेटा आदान-प्रदान कराने हेतु, भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु को संकल्पना साक्ष्य (पीओसी) परियोजना सौंपी गई। इसके अलावा, 'ऑपरेशन द्रोणागिरी' को प्रायोगिक परियोजना के रूप में शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य सतत सामाजिक-आर्थिक प्रभाव की दृष्टि से भू-स्थानिक डेटा का उपयोग करके डिजिटल सार्वजनिक वस्तु/सेवा का निर्माण करना और प्रयोक्ताओं के लिए भू-स्थानिक डेटा की उपलब्धता और पहुंच सुनिश्चित करना है।

(ग) से (घ): ऐसा कोई मूल्यांकन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा अब तक नहीं किया गया है। हालांकि, एनजीपी के आदेशानुसार, राष्ट्रीय स्तर पर भू-स्थानिक डेटा संवर्धन और विकास समिति (जीडीपीडीसी) की स्थापना भू-स्थानिक क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले उचित दिशा-निर्देश, कार्यनीति और कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें लागू करने हेतु शीर्ष निकाय के रूप में की गई। जीडीपीडीसी का एक कार्य भू-स्थानिक क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और संभव करने तथा भू-स्थानिक डेटा, अनुप्रयोग, सेवा और उत्पाद प्रदान करने में प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता को प्रोत्साहित करने वाला अनुकूल वातावरण बनाने हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से अनुशंसा करना है।
